

चाइल्ड पोर्नाग्राफी देखना, डाऊनलोड करना, स्टोर करना

- अपराध






• सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाइकोर्ट के फैसले को पलटा

मद्रास हाइकोर्ट का फैसला

- वर्ष 2019 में चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करने के आरोप में 28 वर्षीय युवक पर POCSO व IT कानून के तहत केस दर्ज
- मद्रास होइकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश
- अपनी डिवाइस पर ऐसा कंटेंट देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता।





मद्रास हाईकोर्ट

करना चाहिए।



पोर्न देखना अपराध की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। ये व्यक्ति की निजी पसंद हो सकती है। इसमें दखल उसकी निजता में घुसपैठ के बराबर होगा।

केरल हाईकोर्ट



सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाइकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के अनुसार चाइल्ड पोर्न देखना, रखना, प्रकाशित/ प्रसारित करना अपराध है।
- पोर्नोग्राफी पर कानून धारा 15 में 3-7 वर्ष जेल व जुर्माना दोनों





चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून

- पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस
- 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो अधिनियम 2012 के नाम से बनाया।
- धारा-14
- यदि कोई व्यक्ति बच्चे या बच्चों को अश्लील कंटेंट के लिए प्रयोग करता है तो 7 वर्ष जेल व जुर्माने का प्रावधान
- अश्लील कंटेंट देखने, वायरल करने पर IT एक्ट की धारा 67, 67A व 67B के तहत सजा व जुर्माना



यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा/ जुर्माने का प्रावधान। कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया।

कानून पूरे भारत पर लागू, स्पेशल कोर्ट में 'इन कैमरा प्रोसीडिंग्स' होती है। यानि पब्लिक और मीडिया से बिल्कुल दूर।



धारा 67 :-

- पोर्न कंटेंट देखने, डाउनलोड करने व वायरल
- सजा
- पहली बार 3 वर्ष जेल 5 लाख का जुर्माना
- दूसरी बार 5 वर्ष कैद, 10 लाख जुर्माना



धारा 67 A - पोर्न कंटेंट मोबाइल में रखने और वायरल

- सजा
- पहली बार 5 वर्ष कैद, 10 लाख जुर्माना
- दूसरी बार 7 वर्ष कैद 10 लाख जुर्माना



धारा 67 B - मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा वीडियो या

- फोटो -
 - सजा
 - पहली बार 5 वर्ष कैद, 10 लाख जुर्माना
 - दूसरी बार 7 वर्ष कैद, 10 लाख जुर्माना



• इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता (BNS) में भी पोर्न कंटेंट से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान

- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की -
- संसद को सुझाव दिया पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया जाए जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्थान पर चाइल्ड सेक्शुअली एब्यूजिव एंड एक्सप्लाइटेटिव मैटेरियल (CSEAM) का प्रयोग किया जाए।



ह्याइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉएटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल

बच्चों के यौन मटेरियल को बनाना, शूट करना या शेयर करना। तस्वीरें, वीडियो, आर्टिकल या टेक्स्ट पीस, जिसमें बच्चों के यौन उत्पीड़न का जिक्र।

99

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा-

चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह 'चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉएटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल' शब्द का इस्तेमाल किया जाए। केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बदलाव करे। अदालतें भी इस शब्द का इस्तेमाल न करें।